प्रेस नोट 12.09.2020

हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित 03 शातिर गिरफ्तार, कब्जे से तीन अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में आज दिनांक 12.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा ग्राम मऊ कुबेर चौराहे के पास से शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी राकेश हरिजन पुत्र रामचंद्र हरिजन ग्राम गहना थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक नाजायज तमंचा एवं दो जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0आ0स0 363/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनयम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा गाय घाट से मिन्टु राजभर पुत्र शिवबचन राजभर निवासी महुआरी थाना कोतवाली के कब्जे से चोरी की एक मोटसाइकिल तथा एक तमंचा मय दो अदद कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल की सूचना थाना मुहम्मदाबाद में दर्ज है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 498/20 धारा 41,411 भादवि0 तथा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा बनदेवी तिराहा कहिनौर के पास से शेषनाथ शर्मा पुत्र अच्छेलाल शर्मा निवासी गजेन्द्रपुर पिपरीडीह थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 722/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

110 लीटर अवैध शराब बरामद, 06 गिरफ्तार–

आज दिनांक 12.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा मुबारक अली पुत्र अशरफ निवासी शाही कटरा थाना कोतवाली, राजू मौर्या पुत्र पारस मौर्या निवासी सलेमपुर थाना दक्षिणटोला मऊ दोनों के कब्जे से 20–20 लीटर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा कुरैसी पुत्र अहसान कुरैसी निवासी नयी बस्ती थाना कोतवाली के कब्जे से 10 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा आनन्द महतों पुत्र ननका महतों निवासी कुराबी थाना सनेहा जनपद लोहरदगा झारखण्ड के कब्जे से 20 लीटर, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा इन्द्रदेव पुत्र सुकरू निवासी मण्डुसरा, दुर्गेश सिंह पुत्र रामसमुज निवासी रानीपुर के कब्जे से 20–20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुत गिरफ्तार–

आज दिनांक 12.09.20 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मझवारा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 762/20 धारा 504,506,307 भादवि0 में वांछित अभियुक्त शैफ पुत्र अलताफ अंसारी, शाकिब पुत्र अहमद खॉ निवासीगण मदापुर समसपुर थाना मधुबन को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 16 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 12.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **घोसी** पुलिस द्वारा भीम प्रसाद, अंचल, अर्जुन, अजय निवासीगण बड़ागांव थाना घोसी,

थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रामजनम, कन्हैया गुप्ता निवासीगण टडियांव थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा दीपक निवासी परदहा, रामसेवक निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा निलेश निवासी चौधरीपुर थाना मधुबन, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा रविन्द्र निवासी रानीपुर, गोविन्द, मनोज, आरिफ, पप्पू राजभर निवासी खीरखाड़ थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा रामसनुज निवासी देवरिया, विजयशंकर निवासी मछलीपुर थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 12.09.20 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर द्वारा नवीन थाना रामपुर का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा थाना परिसर में घूम फिर कर थाना परिसर की साफ/सफाई, कार्यालय के रजिस्ट्ररों/रिकार्डो का रखरखाव, कोविड–19 के दृष्टिगत की गयी तैयारियों आदि का जायजा लिया गया तथा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।